न्यायालय सहायक कलेक्टर एंव कार्यपालक मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी

पीठासीन अधिकारीः अंजूम ताहिर सम्मा RAS

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
14/12	15-3-12	18-5-2016

1- रामस्वरूप
2- बत्तीलाल — पिसरान नारायण
3- गंगासहाय

4- मदन — पिसरान काडू
5- रामनिवास

जाति मीना निवासी सेवा तहसील गंगापुर सिटी

- वादीगण -

ब ना म

1- मिसरया पुत्र जयलाल जाति मीना निवासी सेवा तहसील गंगापुर सिटी।

2- कलावती पुत्री जयलाल पत्नि बत्तीलाल जाति मीना निवासी सलेमपुर तहसील सपोटरा ।

3- शिवचरण
4- हरीचरण — पिसरान मीठ्या जाति मीना निवासी सेवा तहसील गंगापुर सिटी
5- महेन्द्र

6- कन्चो पुत्री मीठ्या पत्नि प्रहलाद जाति मीना निवासी खेडा तहसील नादौती ।

7- वन्नो पुत्री मीठ्या पत्नि हुकमी जाति मीना निवासी छोटी उदेई तहसील गंगापुर सिटी ।

8- सरकार जरिये लैण्ड होल्डर (तहसीलदार) तहसील गंगापुर सिटी ।

- प्रतिवादीगण -

दावा बावत इस्तकरार हक, खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती

व स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थितिः- श्री मोहम्मद इस्लाम एडवोकेट, वादीगण की ओर से ।
श्री सतीशचन्द शर्मा एडवोकेट, प्रतिवादीगण की ओर से ।

निर्णय

वादी ने एक दावा इस आशय का पेश किया गया है कि वादीगण के पिता नारायण व काडू पिसरान भौरया जाति मीना की खातेदारी की भूमि एकीकरण खसरा नम्बर 518 रकबा 5 बीधा 9 विस्वा ग्राम सेवा रही जिसे वर्तमान सेटिलमेन्ट ने नये खसरा नम्बर 2406

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी

शेष पृष्ठ 2 पर

Scanned by CamScanner

1029, 1030 कायम की है तथा प्रतिवादीगण की खातेदारी की भूमि एकीकरण खसरा नम्बर 615 रकवा 4 बीधा 13 विस्वा के वर्तमान मे नये सेटिलमेन्ट मे नये खसरा नम्बर 1114, 1115, 1140, 1141, 1142, 1139, कायम किये गये तथा उक्त खसरा नम्बर की खातेदारी प्रतिवादीगण के नाम दर्ज कर दी परन्तु हाल सेटिलमेन्ट मे गलत तरीके से वादी की साबिक खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 518 रकवा 5 बीधा 9 विस्वा के नये खसरा नम्बर 1029ख 1030 मे प्रतिवादीगण का नाम दर्ज कर दिया । जबकि उक्त भूमि से प्रतिवादीगण का कोई सम्बन्ध नहीं है । सेटिलमेन्ट द्वारा दर्ज की गई उक्त गलत इन्द्राज की वादीगण को सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 1-1-12 को प्रतिवादीगण द्वारा भूमि से बेदखल करने की धमकी देने पर हुई । दावा वादीगण डिक्री किया जाकर भूमि खसरा नम्बर 1029, 1030 ग्राम सेवा का वादीगण को खातेदार घोषित किया जावे तथा उक्त भूमि के इन्द्राजात जो प्रतिवादीगण के नाम दर्ज है उन्हे हजफ किया जावे तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द फरमाया जावे। दावे के साथ मे वादी ने दस्तावेज जमाबंदी संवत 2032-35 मिलान क्षेत्रफल पर्चा खतौनी, मिलान क्षेत्रफल हाल खतौनी भूमि एकीकरण संवत 2019 पर्चा खतौनी नक्शा ट्रेस हाल,नक्शा ट्रेस साबिक, नकल जमाबंदी संवत 2064-67 खाता संख्या 15 ग्राम सेवा पेश की है ।

दावा दर्ज रजिस्टर किया गया । नोटिस प्रतिवादीगण जारी किये गये वावजूद सूचना कोई प्रतिवादीगण उपस्थित नही आये । इसलिये प्रतिवादीगण संख्या 1 व 8 के विरूद्व दिनांक 8-4-2013 को एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई । दिनांक 10-4-2015 को प्रतिवादीगण की ओर से श्री सतीशच्चन्द शर्मा एडवोकेट ने वकालत नामा पेश कर प्रतिवादीगण संख्या 1 व 7 के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही हटाने के लिये आर्डर 9 रूल 7 सी.पी.सी. का प्रार्थना-पत्र पेश किया । पत्रावली लोक अदालत कैम्प सेवा मे राजीनामा हेतु पेश हुई । कैम्प सेवा मे उपस्थित आये तथा राजीनामा इस आशय का पेश किया है कि भूमि खसरा नम्बर 1029 रकवा 0.48 हेक्टर 1030 रकवा 0.62 हेक्टर ग्राम सेवा मे दर्ज प्रतिवादीगण के खातेदारी के इन्द्राज निरस्त करके उक्त भूमि की खातेदारी सम्पूर्ण रूप से मृतक नारायण व काडू के वारिसान वादीगण के नाम दर्ज कर दी जावे । इसमे प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत

सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी

शेष पृष्ठ 3 पर

Scanned by CamScanner

7 को कोई आपत्ति नहीं है । इसी प्रकार समस्त रेवन्यु रिकार्ड मे इन्द्राजात दुरूस्त कर दिया जावे ।

पत्रावली का अवलोकन किया । पत्रावली मे पेश दस्तावेजात व राजीनामा का अवलोकन किया गया । वाद पत्र के साथ प्रस्तुत जमाबंदी संवत 2032 से 35 के अवलोकन से स्पष्ट है कि भूमि एकीकरण खसरा नम्बर 518 रकवा 5 बीधा 9 विस्वा की खातेदारी नारायण काडू पिसरान भौरया के नाम दर्ज रही । नकल मिलान क्षेत्रफल हाल के अनुसार भूमि खसरा नम्बर 1029 व 1030 साबिक खसरा नम्बर 518 व 615 से बनना अंकित है तथा भूमि खसरा नम्बर 615 रकवा 4 बीधा 13 विस्वा की खातेदारी मुताविक खतौनी एकीकरण मिश्रया पुत्र जयपाल हिस्सा 1/3 व मीठ्या, ठंडी पुत्रान रामनारायण हिस्सा 2/3 दर्ज रही तथा उसके अनुसार प्रतिवादीगण को अपनी सम्पूर्ण भूमि रिकार्ड मे प्राप्त हो चुकी है । इसके बावत प्रतिवादीगण ने राजीनामे मे भी कथन किया है कि भूमि खसरा नम्बर 1029 व 1030 सम्पूर्ण की खातेदारी प्रतिवादीगण के नाम से हजफ की जाकर वादीगण के नाम दर्ज कर दी जावे। इसलिये पत्रावली व पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेजात व राजीनामे के अवलोकन से दावा वादीगण डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है ।

आदेश

अतः दावा वादीगण मुताविक राजीनामा इस आशय का डिक्री किया जाता है कि भूमि हाल खसरा नम्बर 1029 रकवा 0.48 हेक्टर, 1030 रकवा 0.62 हेक्टर ग्राम सेवा तहसील वजीरपुर सम्पूर्ण का वादीगण को खातेदार घोषित किया जाता है। उक्त भूमि मे प्रतिवादीगण के नाम दर्ज इन्द्राज को हजफ करने के आदेश दिये जाते है । इसी अनुसार समस्त रेवन्यु रिकार्ड मे इन्द्राजात दुरूस्त किये जावे । पर्चा डिक्री पृथक से जारी हो ।

निर्णय खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया ।

अंजुम ताहिर सम्मा RAS
सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी

Scanned by CamScanner